न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

वाद संख्या 120 सन् 2009 अन्तर्गत धारा- 143 ज.वि.अधि.
मौजा बिलासपुर परगना मुजफ्फरनगर।
शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट बनाम सरकार

नकल आदेश दिनांकित 21.5.2009

शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट निवासी ग्राम कूकडा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर अपनी भूमि स्थित ग्राम बिलासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर खाता संख्या 510 के खसरा संख्या 578/3 रकबा 0.117 है0 एवम् खसरा नम्बर 578/1 रकबा 0.384 है0 एवम् खसरा नम्बर 575/3 रकबा 0.205 है0 एवम् खसरा नम्बर 579 रकबा 0.312 है0 कुल चार किते रकबा 1.018 है0 लगान 34.90 रूपये पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक उद्घोषित किये जाने हेतु अभ्यर्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की जांच आँख्या एंव संस्तुति दिनाक 15.5.2009 प्राप्त हुई। जिसके अवलोकन से विदित है कि ग्राम बिलासपुर परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि खाता संख्या 510 के खसरा संख्या 578/3 रकबा 0.117 है0 एवम् खसरा नम्बर 578/1 रकबा 0.384 है0 एवम् खसरा नम्बर 575/3 रकबा 0.205 है0 एवम् खसरा नम्बर 579 रकबा 0.312 है0 कुल चार किते रकबा 1.018 है0 लगान 34.90 रूपये पर शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट का नाम बतौर संक्रमणीय अंकित है । स्थल पर उक्त भूमि में कृषि कार्य बन्द कर दिया गया है तथा आबादी हेतु औद्योगिक प्रयोग में लायी जा रही है। भविष्य में उक्त भूमि में कृषि कार्य की सम्भावना नही है . भूमि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त भूमि को धारा 143 ज.वि.अ. के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार के द्वारा अपनी आँख्या के साथ नियम 135 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। जिसमें प्रश्नगत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

मैंने पत्रावली एंव उपलब्ध भूअभिलेखों का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य नही हो रहा है और उक्त भूमि शिवा चेरिटेबिल ट्रस्ट के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। यह भूमि वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्सय पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नही हो रही है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि. की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: तहसीलदार सदर की आँख्या एंव संस्तुति दिनांक 15.5.09 के आधार पर शिवा चेरिटेबिल ट्रस्ट निवासी ग्राम कूकडा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि खाता संख्या 510 खसरा संख्या 578/3 रकबा 0.117 है0 एवम् खसरा नम्बर 578/1 रकबा 0.384 है0 एवम् खसरा नम्बर 575/3 रकबा 0.205 है0 एवम् खसरा नम्बर 579 रकबा 0.312 है0 कुल चार किते रकबा 1.018 है0 लगान 34.90 रूपयें को जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद पूर्ति पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

प्रशासनिक उप जिलाधिकारी सदर, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)

दिनांक 21-5-2009

(हरि कृष्णनाथ त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफफरनगर

सत्य प्रतिलिपि 23/5/09
पेशकार
उप जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर

वास्ते शिवा चैरीटेबिल ट्रस्ट

महामंत्री / कोषाध्यक्ष

Current App No- 1369780297

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

वाद संख्या 221 सन् 2009 — अन्तर्गत धारा 143 ज.वि.अधि.

मौजा बिलासपुर — परगना मुजफ्फरनगर

शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट बनाम् सरकार

नकल आदेश दिनांकित 22.12.2009

शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट निवासी ग्राम कूकड़ा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर अपनी भूमि स्थित ग्राम बिलासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर खाता संख्या 176 के खसरा नम्बर 582 रकबा 0.3690 है कुल एक किता रकबा 0.3690 है.लगान 23.75 रूपये पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक उद्घोषित किये जाने हेतु अभ्यर्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की जाँच आख्या एवं संस्तुति दिनांक 15.12.2009 प्राप्त हुई । जिसके अवलोकन से विदित है कि ग्राम बिलासपुर परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि खाता संख्या 176 के खसरार नम्बर 582 रकबा 0.3690 है0 लगान 23.75 रूपये पर शिवा चेरिटेबिल ट्रस्ट का नाम बतौर बैनामा दिनांक 10.12.2009 अंकित है। स्थल पर उक्त भूमि मे कृषि कार्य बन्द कर दिया गया है तथा शिक्षण हेतु प्रयोग में लायी जा रही है। भविष्य में उक्त भूमि मे कृषि कार्य की सम्भावना नहीं है, भूमि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त भूमि को धारा 143 ज.वि.अ. के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार के द्वारा अपनी आँख्या के साथ नियम 135 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। जिसमें प्रश्नगत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

मैंने पत्रावली एवं उपलब्ध भूअभिलेखों का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य नहीं हो रहा है और उक्त भूमि शिवा चेरिटेबिल ट्रस्ट के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर बैनामा दानपत्र दिनांक 10.12.09अंकित है । यह भूमि वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्सय पालन, कुक्कुटपालन, बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नहीं हो रही है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि. की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषि भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार सदर की आँख्या एवं संस्तुति 15.12.09 के आधार पर शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट निवासी ग्राम कूकडा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि खाता संख्या 176 खसरा नम्बर 582 रकबा 0.3690 है. कुल एक किते रकबा 0.3690 है. लगान 23.75 रूपये को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद पूर्ति पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक 22.12.2009

(हरि कृष्णनाथ त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर।

सत्य प्रतिलिपि 24/12/09

उप जिलाधिकारी
मुजफ्फर नगर

वास्ते शिवा चेरीटेबिल ट्रस्ट

महामंत्री / कोषाध्यक्ष

Current App No- 1369780292

नकल सिरा स०नं० 1472/09

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

वाद संख्या 112 सन् 2009 अन्तर्गत धारा -143 ज.वि.अधि.

मौजा शेरनगर परगना -मुजफ्फरनगर

शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट बनाम् सरकार

नकल आदेश दिनांकित 24.12.2009

शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट निवासी ग्राम कूकडा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर अपनी भूमि स्थित ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर खाता संख्या 612 के खसरा नम्बर 297 रकबा 0.123 है0 एवम् खसरा नम्बर 307 रकबा 0.5430 है. कुल दो किते रकबा 0.666 है0 लगान 28.40 रूपये पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक उद्घोषित किये जाने हेतु अभ्यर्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की जांच आंख्या एंव संस्तुति दिनांक 22.12.2009 प्राप्त हुई। जिसके अवलोकन से विदित है कि ग्राम शेरनगर परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि खाता संख्या 612 के खसरा नम्बर 297 रकबा 0.123 है0 एवम् खसरा नम्बर 307 रकबा 0.5430 है. कुल दो किते रकबा 0.666 है0 लगान 28.40 रूपये रूपये पर शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट का नाम बतौर बैनामा दिनाक 10.12.2009 अंकित है। स्थल पर उक्त भूमि में कृषि कार्य बन्द कर दिया गया है तथा शिक्षा हेतु प्रयोग में लायी जा रही है। भविष्य में उक्त भूमि में कृषि कार्य की सम्भावना नहीं है, भूमि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त भूमि को धारा 143 ज.वि.अ. के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार के द्वारा अपनी आंख्या के साथ नियम 135 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। जिसमें प्रश्नगत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

मैंने पत्रावली एवं उपलब्ध भूअभिलेखों का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य नहीं हो रहा है और उक्त भूमि शिवा चेरिटेबिल ट्रस्ट के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर बैनामा दानपत्र दिनांक 10.12.2009 अंकित है। यह भूमि वर्तमान में कृष्यि कार्य, पशुपालन, मत्सय पालन, कुक्कुटपालन, बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नहीं हो रही है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि. की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषि भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार सदर की आंख्या एंव संस्तुति 22.12.09 के आधार पर शिवा चैरिटेबिल ट्रस्ट निवासी ग्राम कूकडा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि खाता संख्या 612 के खसरा नम्बर 297 रकबा 0.123 है0 एवम् खसरा नम्बर 307 रकबा 0.5430 है. कुल दो किते रकबा 0.666 है0 लगान 28.40 रूपये को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद पूर्ति पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

(signature) 24-12-09

दिनांक 24.12.2009

(हरि कृष्णनाथ त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर।

1-नाम नकल [illegible] 24/12/09
2-[illegible] [illegible]
3-[illegible] [illegible]
4-[illegible] [illegible] 24/12/09
[illegible] 29/12/09
[illegible] [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

पेशकार
उप जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर

वास्ते शिवा चैरीटेबिल ट्रस्ट

महामंत्री / कोषाध्यक्ष